भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 708

जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

.....

बांध संबंधी दुर्घटनाएं

708. श्री राजमोहन उन्नीथन:

डॉ. अमर सिंह:

श्री बालूभाऊ उर्फ **सुरेश नारायण धानोरकर:**

श्री एंटो एन्टोनी:

डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

श्री के. सुधाकरन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2021 में बांध सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद से बांध से संबंधित राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं और मौत हुई हैं;

(ख) क्या सरकार के पास बांध से संबंधित दुर्घटनाओं के कारण नुकसान उठाने वाले या विस्थापित होने वाले लोगों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को तैयार करने से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): दिसंबर, 2021 में बांध सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद से, बांधों संबंधी किसी दुर्घटना और इससे होने वाली मौत के संबंध में बांध सुरक्षा राज्य समितियों या राज्य बांध सुरक्षा संगठनों या बांध मालिकों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) और (ग): राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार जल संसाधन परियोजनाओं की योजना बनाना, उनका वित्त पोषण, निष्पादन और अनुरक्षण किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही ऐसी परियोजनाओं का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्य भी किया जाता है।

इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की पहली अनुसूची में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति में "बांध सुरक्षा मूल्यांकन, जोखिम आकलन और जोखिम प्रबंधन के सुरक्षित आश्वासन के वांछित स्तर तक; और बांध विफलताओं से प्रभावित लोगों की बीमा कवरेज के मुआवजे की संभावनाओं का पता लगाने के व्यापक बांध सुरक्षा प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करना" प्रदत्त है।

(घ) और (ङ): जी हां। बांध सुरक्षा विधेयक 2016 का मसौदा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 09.08.2016 को इनपुट और सुझावों के लिए परिचालित किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की में दिनांक 18.02.2017 को आयोजित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की बैठक में राज्यों से प्राप्त इनपुट/टिप्पणियों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें 18 राज्यों ने भाग लिया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचारों और सुझावों का ध्यान रखा गया था। बाद में, मसौदा विधेयक को संशोधित और अंतिम रूप दिया गया था। इसके बाद, संसद में दिनांक 12.12.2018 को बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 पेश किया गया जो सोलहवीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया। उपरोक्त विधेयक के आधार पर, बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को संसद में फिर से जुलाई 2019 में पेश किया गया, जो दिसंबर, 2021 में एक अधिनियम बन गया।

******